कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/पेंशन/मप्रपॉजकंलि/ 559 जबलपुर, दिनांक 19 DEC 2019

//परिपत्र//

विषय:-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में म.प्र.पॉ. जन.कं.लि. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपादान अधिनियम -1972, के अनुसार उपादान का भुगतान।

0000

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10266-10268/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि, पूर्ववर्ती मप्रराविमं से अंतरित/आमेलित कंपनी कार्मिको/पेंशनरों को चाहेनुसार, म प्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम 44 में वर्णित मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (DCRG) के स्थान पर उपादान अधिनियम -1972 के प्रावधानों के अनुसार उपादान का भुगतान किया जा सकेगा।

2. इस परिपत्र के जारी होने के पूर्व जिन कार्मिको को पेंशन नियम -1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (DCRG) का भुगतान किया जा चुका है, तथा जो उपादान अधिनियम -1972 के अंतर्गत उपादान चाहते है तो वे उपादान अधिनियम -1972 के अंतर्गत उपादान भुगतान के एवज में अंतर राशि (यदि कोई हो तो) के भुगतान हेतु आवेदन (संलग्न प्रारूप में) नियंत्रक अधिकारी को जिस कार्यालय से कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है, को प्रस्तुत कर सकते है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, अंतर राशि का निर्धारण सेवानिवृत्ति की तिथि पर उपादान अधिनियम -1972 हेतु समय-समय पर घोषित तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन/लागू तिथि से स्वीकृत धनराशि की अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगा। एतद्, उपादान अधिनियम -1972 के तहत उपादान की धनराशि सीमा एवं संबंधित लागू तिथि का सम्यक संज्ञान लेने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना समीचीन होगा। सुलभ संदर्भ हेतु (i) आवेदन का प्रारूप (ii) सेवा विवरण पत्रक एवं (iii) उपादान अधिनियम -1972 के अनुसार अधिकतम उपादान सीमा एवं प्रयोज्य अवधि विषयक पत्रक संलग्न है।

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालय द्वारा परीक्षण के उपरांत संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी/(मा.संसा.एवं प्रशा.) कार्यालय को अग्रेषित किया जावेगा, जो अंतर की राशि के भुगतान हेतु आवश्यक आदेश प्रसारित करेंगे।

वर्ष 2005 के पूर्व के पेंशनर/परिवार पेंशनर के लिये भी समान प्रक्रिया लागू होगी तथापि, वे अपना आवेदन उस संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जहाँ से वे वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे है। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को भी उनके चाहेनुसार, उपरोक्तानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

4. उपादान अधिनियम-1972 की धारा 14, उपादान के संबंध में अध्यारोही प्रभाव रखती है, अतः कंपनी में उपादान की देयता अधिनियम- 1972 के अनुसार होगी।

क्रमशः 2

5. उक्त निर्देश, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के ज्ञाप क्रमांक 8265/एफ-2-17/2012/तेरह दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में जारी किये गये है ।

6. उपादान अंतर राशि के भुगतान हेतु प्रकरण विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों/ न्यायालयों/ अधिकरणों के समक्ष लंबित है । अतः संबंधित प्रकरण प्रभारी अधिकारी इस परिपत्र की प्रति, संबंधित न्यायालयों में उपलब्ध करना सुनिश्चित कर, प्रकरणों का निराकरण करें ।

संलग्न:- यथोपरि।

आदेशानुसार,

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

पृ.क्र. मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/पेंशन/मप्रपॉजकंलि/ 450 जबलपुर, दिनांक 19 DEC 2019

प्रतिलिपि : -

1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल ।
2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
3- मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
4- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), एम.पी.पॉवर मैने.कं.लि. जबलपुर ।
5- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/ इंदौर/भोपाल ।
6- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर ।
7- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
8- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/ (टीएचसी) म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. जबलपुर/ सिरमौर
9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.चिकित्सालय, सताविगृ, सारनी ।
10- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
11- अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.), गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/ बरगीनगर/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना/ शिवपुरी ।
12- अधी.अभि. (सिविल) जल वि.संधा एवं सर्वे अन्वे., म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
13- वरिष्ठ कल्याण अधिकारी/विधि अधिकारी, कार्या.मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
14- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगांताविगृह/ अताविगृह/ सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/ बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
15- स्टाफ आफिसर / निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक / संचालक (तकनीकी) / (वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।

(एस.के. सिंघई)
संयुक्त सचिव
कार्या.मुख्य अभि.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर

पत्रक – (i)

आवेदन का प्रारूप

फोटो
हस्ताक्षर/अंगूठा

प्रति,

नियंत्रण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख),
-------------------------,
म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड,
---------------------- ।

विषय- उपादान अधिनियम-1972 के अंतर्गत उपादान भुगतान विषयक ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपादान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपादान चाहता है।

आवेदनकर्ता/पेंशनर का विवरण निम्नानुसार है :-

1. कार्मिक का नाम ---
2. आवेदनकर्ता का नाम (यदि कर्मिक दिवंगत हो) --
3. आवेदनकर्ता का कर्मिक से संबंध ---
4. आवेदकर्ता का पता (यदि वह पेंशनर/परिवार पेंशनर नहीं है) ------------------------------
   ---मो. नं. -------------------------
5. कर्मचारी क्रमांक -------------------------- जी.पी.ओ./पी.पी.ओ. क्रमांक ---------------
   दिनांक------------
6. सेवानिवृति/मृत्यु (सेवा में रहते) की तिथि ---
7. सेवानिवृति/मृत्यु (सेवा में रहते) के समय धारित पद ---------------------------------
8. सेवानिवृति/मृत्यु (सेवा में रहते) के समय कार्यालय का नाम ----------------------------
   ----
9. क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय जहां से वर्तमान/अंतिम पेंशन प्राप्त की हो ------------------
   ----
10. क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पेंशन/डीसीआरजी का पीपीओ/जीपीओ का पूर्ण क्रमांक एवं दिनांक (छाया प्रति संलग्न करें) ---
11. पेंशन/डीसीआरजी स्वीकृति आदेश का पूर्ण क्रमांक एवं दिनांक (आदेश तथा गणना पत्रक कीछाया प्रति संलग्न करें) ---
12. सेवानिवृति/मृत्यु के समय पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत प्राप्त डीसीआरजी रु. ----------
    ----
13. पुनरीक्षित पेंशन/डीसीआरजी आदेश क्रमांक एवं दिनांक (यदि लागू हो तो) -------------
    ----
14. पुनरीक्षण के कारण प्राप्त डीसीआरजी की अंतर राशि (पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत) - --------------- यदि प्राप्त हुई है तो)
15. कुल प्राप्त डीसीआरजी(12+14) रु ---
16. कुल मान्य अर्हकारी सेवा अवधि वर्ष ---------------- माह ----------- दिन------------

17. उपादान अधिनियम 1972 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/ मृत्यु तिथि पर देय उपादन की अधिकतम सीमा --------------------------------

18. उपादान अधिनियम 1972 के तहत् देय उपादान की राशि -------------------------------

19. गणना पत्रक के आधार पर शेष भुगतान योग्य उपादान अंतर राशि (यदि कोई हो तो) (18-15) --

20. पेंशनर/आवेदक के बैंक खाते का विवरण :- नाम --------------------------------------
खाता क्रमांक ----------------------------------- बैंक का नाम -----------------------------
शाखा-- IFS Code -------------------------------

संलग्न:- 1. पेंशन एवं उपादान स्वीकृति आदेश (गणना पत्रक सहित) की स्व सत्यापित छायाप्रति ।
2. पीपीओ/जीपीओ की स्व सत्यापित छाया प्रति ।
3. गणना पत्रक ।
4. आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र को सरकारी नियमानुसार मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति ।

मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेर स्वज्ञान से पूर्णतः सत्य है तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान :-
दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर ----------------------------

आवेदक का नाम ---------------------------------

पता ---

मो.नं. ---

<u>अर्हकारी सेवा विवरण का प्रारूप</u>

<u>पत्रक–(ii)</u>

पेंशनर का नाम ----------------------------------- सेवानिवृत्ति का प्रकार (अधिवार्षिकी/स्वैच्छिक/अनिवार्य/अन्य) टिक करें

क्र.	सेवा का विवरण (प्रथम नियुक्ति से सेवा निवृत्ति तिथि तक)		कुल सेवा काल वर्ष माह दिन	सेवा काल में अनुशासनात्मक कार्यवाही / दंडात्मक कार्यवाही संबंधी विवरण	विभागीय जांच / न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित विवरण	गैर अर्हकारी सेवा अवधि (वर्ष माह एवं दिन)	गैर अर्हकारी सेवा घटाने के उपरांत उपदान की अंतर राशि के भुगतान हेतु अर्हकारी प्रयोज्य सेवाकाल (वर्ष माह एवं दिन)
	पदस्थ कार्यालय का नाम	अवधि दि.------- से दि. ---------- तक					
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

//सत्यापन //

मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे स्वज्ञान से पूर्णत: सच है तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर दण्ड का भागी रहूंगा/ रहूंगी ।

पेंशनर का नाम ---------------------------------

हस्ताक्षर ---------------------------------

-

पता ---

-

मो.नं. ---------------------------------

।। नोट - यथा संभव अधिकतम जानकारी भरें ।।

पत्रक- (III)

उपादान भुगतान अधिनियम-1972 के अंतर्गत उपादान की अधिकतम सीमा तथा प्रयोज्य अवधि

क्र	प्रयोज्य अवधि	उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत (भुगतान की) अधिकतम सीमा (रू.)	उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिकतम भुगतान की सीमा के अधीन अंतर राशि का भुगतान करने संबंधी टीप
1	12.8.87 से 23.5.94	50,000	अधिकतम भुगतान की सीमा रू. 50,000 के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा ।
2	24.5.94 से 23.9.97	1.00 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रू. 1.00 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा ।
3	24.9.97 से 23.5.10	3.50 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रू. 3.50 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा ।
4	24.5.10 से 28.3.18	10.00 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रू. 10.00 लाख के अधीन अंतर राशि भुगतान किया जायेगा ।
5	29.3.18 से अब तक	20.00 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रू. 20.00 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा ।